154

संख्या– 61 /XXIV–4/2011–5(14)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 23 मार्च, 2012

विषय– संस्कृत शिक्षा निदेशालय हेतु स्वीकृति धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–9278/लेखा/बजट/2011–12 दिनांक 08. फरवरी,2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अवशेष वेतन के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में ₹ 52.43 लाख (बावन लाख तैतालीस हजार मात्र) की धनराशि को मात्र पुनविनियोजित करते हुए आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/व्ययों पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/सुसंगत शासनादेशों के तहत नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
5. व्यय करते समय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर पक्ष के अधीन लेखाशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा विकास–103 संस्कृत शिक्षा–04–संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 43– वेतन भत्तेआदि के लिए– सहायक अनुदान विभाग के अधीन संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्रों में स्तम्भ–5 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम में डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ९८/N (p)/XXVII(3)/2012 दिनांक 23 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 61 (1)/XXIV–4/5(14)/10/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित–

1. महालेखाकार, ओबेराय विल्डिग, माजरा,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सोमपाल)
अनु सचिव।